

पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है

पारुल शर्मा

शोधकान्त्री समाजशास्त्र विभाग मदरहुड
विश्वविद्यालय रुड़की

डॉ अलका रानी

समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष मदरहुड
विश्वविद्यालय रुड़की

सारांश

शिक्षा वह प्रकाश है जिसके माध्यम से छात्र की सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ (व्यक्ति, विकास, शिक्षा का मुख्य कार्य प्रशिक्षण, संवर्धन और मार्गदर्शन है। शिक्षा) एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हर समय सीखते रहते हैं। शिक्षा की प्रकृति को एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि के रूप में लिया जा रहा है। प्रतियोगिता पर अधिक जोर इसके उद्देश्य को विकृत करता है और इसे एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहाँ न तो गहरी बौद्धिक समझ महत्वपूर्ण है और न ही चरित्र गुणों की कोई विशेषता बनी हुई है। इस कारण से, दिनों में, आजकल परीक्षा परिणाम, आत्महत्या और अवसाद की प्रवृत्ति आमतौर पर छात्रों में देखी जाती है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली के बीमार होने के प्रत्यक्ष संकेतक हैं। शिक्षा प्रणाली की कमी के कारण, भारत की अधिकतम आबादी बेरोजगार है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 74 जनसंख्या का प्रतिशत साक्षर है। यदि शिक्षित और साक्षर के बीच अंतर को ध्यान में रखा जाए, तो तथ्य यह है कि केवल कुछ लोगों को रोजगार मिला है, शिक्षा के आधार पर।

परिचय

परिचय हमारे जीवन को नैतिकता, आचरण, कौशल जागरूकता, ज्ञान और मन की शांति के लिए शिक्षित करना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों द्वारा प्रशासित शिक्षा स्व-निहित है, लेकिन समय के परिवर्तनों के साथ-साथ शिक्षा के प्रारूप और तकनीकों में परिवर्तन को अपनाने के लिए, हमारे लिए बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ कौशल-आधारित शिखा और प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक हो जाता है। शिक्षा का सरल अर्थ सीखने और सिखाने की प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना है, लेकिन इस प्रक्रिया का विशाल रूप छोटी चीजों को सीखने में छिपा है, जैसे, पहले समाज के बुनियादी नियमों को जानें, नैतिकता और मूल्यों को जानें, समाज और संस्कृति की पहचान। इन सभी से, एक व्यक्ति सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बन जाता है, लगातार नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान ओर कौशल बढ़ाने से व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाता है। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके माध्यम से छात्र (व्यक्ति) की सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होती है। शिक्षा का मुख्य कार्य प्रशिक्षण, पदोन्नति और मार्गदर्शन है।

शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हर समय सीखते रहते हैं। वर्तमान में, शिक्षा की प्रकृति को एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि के रूप में लिया जा रहा है। प्रतियोगिता पर अधिक जोर इसके उद्देश्य को विकृत करता है और इसे एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहाँ न तो गहरी बौद्धिक समझ महत्वपूर्ण रहती है और न ही चरित्र गुणों की कोई विशेषता बनी रहती है। इस कारण से, आजकल परीक्षा परिणाम के दिनों में, छात्रों में आत्महत्या और अवसाद की प्रवृत्ति आमतौर पर देखी जाती है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली के बीमार होने के प्रत्यक्ष संकेतक हैं। शिक्षा प्रणाली की कमी के कारण, इंदिया की अधिकतम आबादी बेरोजगार है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 74 प्रतिशत आबादी साक्षर है। यदि शिक्षित और साक्षर के बीच अंतर को ध्यान में रखा जाए, तो तथ्य यह है कि कुछ ही लोगों को मिला है।

शिक्षा के आधार पर रोजगार। भारत में, शिक्षित लोगों का प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इंग्लैंड, रूप और जापान में 100 प्रतिशत साक्षरता है। यूरोप और अमेरिका में साक्षरता 90 से 100 प्रतिशत के बीच है। यह भी सच है कि उन देशों की शिक्षा ने भी उन्हें रोजगार

दिया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक, ज्ञान का लगातार विस्तार हो रहा है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुधार और बुनियादी स्थिति में सुधार का स्तर भी बढ़ रहा है, फिर भी पूरी दुनिया का अधिकतम हिस्सा अभी भी शिक्षा से वंचित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 26 जुलाई 2014 को बच्ची की शिक्षा के क्षेत्र में वैशिक परिवृश्य पर एक रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के 58 मिलियन बच्चे हैं। जो स्कूल नहीं जाते हैं।

उच्च शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण

महात्मा गांधी के अनुसार, शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम विकास। भारतीय सभ्यता 'ज्ञान की बहुत पुरानी परंपरा रही है, और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय शिखा के प्रसिद्ध स्थान थे, जहाँ विदेश से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। आज हमारे पास ऐसे संस्थानों की कमी है, 1850 तक भारत में गुरुकुल चल रहे थे, लेकिन मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन के कारण, भारत की शिक्षा प्रणाली समाप्त हो गई, कई गुरुकुल टूट गए और अंग्रेजी स्कूल अपने स्थान पर हावी हो गए, भारत का विश्वविद्यालय वैशिक होने की तुलना में अधिक क्षेत्रीय है, भारत के एक राज्य से Stuoents अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना मुश्किल है। विश्वविद्यालय को अपनी स्वायत्ता की कमी है, भारत के उच्च शिक्षा आयोग, एचआईसीआई (यूजीसी) और एआईसीटीई जैसे संस्थान अभी भी भूमि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और व्याख्यान घण्टे की उपलब्धता के आधार पर किसी भी विश्वविद्यालय को विनियमित करते हैं। इन सभी तथ्यों के बारे में शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय और स्कूल शिक्षा के पारंपरिक तरीकों में फंस गए हैं। यही कारण है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में कई

प्रकार की सामयिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। भारत दुनिया के सर्वोच्च संस्थानों में न केवल विकसित राष्ट्रों से पीछे है, बल्कि कई विकासशील राष्ट्र भी भारत से आगे हैं। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुपात में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त कमी है और शिक्षकों और बुनियादी ढांचे की भी कमी है। कक्षा में, क्षमता से अधिक छात्रों की संख्या, उस पर प्रयोगशालाओं की कमी, लगभग सभी प्रमुख संस्थानों में 40 प्रतिशत शिक्षकों की कमी, साथ ही साथ संस्था पर राजनीतिक दबाव अलग से, आदि संख्याओं के मद्देनजर उच्च शिक्षा भारत की प्रणाली अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आती है। लेकिन जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। ट टाईस्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (2013) के अनुसार, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इण्डिया को 226-0 स्थान मिला। देश के अधिकांश राज्यों की सरकार की उच्च शिक्षा में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है और वे वित्तीय बोझ उठाने को भी तैयार नहीं हैं, यही वजह है कि कई राज्यों में यूजीसी के स्वीकृत पदों के लिए राज्य सरकार की सहमति नहीं मिल पा रही है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के पद नहीं भरे जाते हैं और उन्हें अंशकालिक शिक्षकों, शोध छात्रों या अतिथि शिक्षकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देश की बढ़ती जनसंख्या और उसमें युवा वर्ग के अनुपात को देखते हुए, अगले दशक तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जिसके लिए हमारे पास बढ़ने की स्पष्ट और सार्थक योजना नहीं है आवश्यक शैक्षिक प्रणाली और संसाधन। प्रवेश परीक्षा से लेकर अंतिम परीक्षा तक, सफलता के लिए, सोच कम और युग अधिक उपयोगी है। पूरे देश में, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, छात्रों और शिक्षकों का अनुपात बहुत असंतुलित है। शिक्षा के क्षेत्र

में यह स्थिति काफी भयावह है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के शोध में कहा गया है कि 90 प्रतिशत कॉलेजों और 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है। कई विश्वविद्यालयों में, पिछले कई वर्षों में पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुराना पाठ्यक्रम आज की जरूरतों से बहुत दूर है, जिसके कारण उच्च शिक्षा अर्ध-शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ पैदा कर रही है। हाल ही में, NASCAM और मैकिन्से के शोध के अनुसार, मानविकी में 10 छात्रों में से नौकरी के लिए पात्र हूँ और इंजीनियरिंग में 4 में से केवल 1 भारतीय छात्र नौकरी के योग्य है।

भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति है, यह तथ्य गलत साबित होता है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में, अच्छा शोध अभी भी एक कमजोरी है, क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थानों में कई कमियों के अलावा गुणवत्ता की कमी है। चाहे वह मानविकी शिक्षा का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग शिक्षा का क्षेत्र हो, दोनों जगहों पर रोजगार के कौशल की कमी है। पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली में, संसाधनों की अनुपस्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। उच्च शिक्षा के तीन निर्धारित उद्देश्य हैं, अच्छी शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार, और इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम पाठ्यक्रम है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग और प्रो। यशपाल समिति का भी गठन किया गया है, उनके अनुसार, शैक्षिक संस्थानों में, शोध कार्य और अनुसंधान की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण न तो शिक्षा में सुधार हो सकता है और न ही समाज में सुधार हो सकता है। शोध कार्य में, नकल और डेटा चोरी जैसे अवांछितीय कार्य भी किए जा रहे हैं।

समाधान के लिए सुझाव

स्कूल से निकलने वाले प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। छात्रों के लिए, कम से कम 2 धाराओं में उच्च शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। पहली धारा ऐसी है जिसमें वे 2 साल की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल से निकलने वाले प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। छात्रों के लिए, कम से कम 2 धाराओं में उच्च शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। पहली धारा ऐसी है जिसमें वे 2 साल की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी धारा के तहत, छात्रों के पास 3-वर्षीय पाठ्यक्रमों का कानून है जिसमें वे सामान्य विज्ञान और कला से संबंधित विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। ये सिस्टम कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेज मॉडल की तरह होगा जिसमें पूरा खर्च सरकार द्वारा किया जाता है। इन दो धाराओं में, केवल एक प्रवेश परीक्षा द्वारा, संख्या के प्रतिशत के आधार पर, सभी छात्रों के अनुसार चुना जाना चाहिए। फीस के लिए छात्र के पास ऋण की सुविधा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन को राजनेताओं, प्रशासकों और नियामक निकायों से दूर रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय को हर तीसरे वर्ष में आडिट किया जाना चाहिए, साथ ही संस्थान की राशि का विवरण विधायिका को सौंपा जाना चाहिए। नए प्रोफेसरों की भर्ती या काम करने वाले प्रोफेसरों की पदोन्नति, उनके काम को संशोधित करने के आधार पर करें। प्रोफेसरों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन हर तीसरे वर्ष के बाद किया जाना चाहिए, वरीष्ठता के आधार पर कोई पदोन्नति या उन्नति नहीं होनी चाहिए। काम का मूल्यांकन करने के बाद ही वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, वेतन प्रणाली लचीली होनी चाहिए जिसमें असाधारण प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जा सके। दूरस्थ शिक्षा की आधुनिक तकनीक का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। विशेष रूप से, पाठ्यक्रमों में उपलब्ध इंटरनेशनल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स सिस्टम (MOOCs) का उपयोग किया जा सकता है, इन्टरनेट

धाराओं में उच्च शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। पहली धारा ऐसी है जिसमें वे 2 साल की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल से निकलने वाले प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। छात्रों के लिए, कम से कम 2 धाराओं में उच्च शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। पहली धारा ऐसी है जिसमें वे 2 साल की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी धारा के तहत, छात्रों के पास 3-वर्षीय पाठ्यक्रमों का कानून है जिसमें वे सामान्य विज्ञान और कला से संबंधित विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। ये सिस्टम कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेज मॉडल की तरह होगा जिसमें पूरा खर्च सरकार द्वारा किया जाता है। इन दो धाराओं में, केवल एक प्रवेश परीक्षा द्वारा, संख्या के प्रतिशत के आधार पर, सभी छात्रों के अनुसार चुना जाना चाहिए। फीस के लिए छात्र के पास ऋण की सुविधा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन को राजनेताओं, प्रशासकों और नियामक निकायों से दूर रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय को हर तीसरे वर्ष में आडिट किया जाना चाहिए, साथ ही संस्थान की राशि का विवरण विधायिका को सौंपा जाना चाहिए। नए प्रोफेसरों की भर्ती या काम करने वाले प्रोफेसरों की पदोन्नति, उनके काम को संशोधित करने के आधार पर करें। प्रोफेसरों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन हर तीसरे वर्ष के बाद किया जाना चाहिए, वरीष्ठता के आधार पर कोई पदोन्नति या उन्नति नहीं होनी चाहिए। काम का मूल्यांकन करने के बाद ही वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, वेतन प्रणाली लचीली होनी चाहिए जिसमें असाधारण प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जा सके। दूरस्थ शिक्षा की आधुनिक तकनीक का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। विशेष रूप से, पाठ्यक्रमों में उपलब्ध इंटरनेशनल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स सिस्टम (MOOCs) का उपयोग किया जा सकता है, इन्टरनेट

सुविधाओं की मद्द से हमारे छात्रों को ज्ञान के स्तर में वृद्धि के साथ—साथ प्रोफेसरों की जिज्ञासा भी बढ़ेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में, छात्रों को रोजगार की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, गर्मियों/सर्दियों की छुट्टियों के दौरान स्थानीय उद्योग और तकनीकी व्यवसाय से जुड़े लोगों की मद्द से। जाति के आधार पर आरक्षण के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर को ऊपर उठाने में बहुत कठिनाई होती है। आरक्षण से बेरोजगारी को कभी दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि, इसे केवल ऐसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। सामाजिक चुनौतियों के उन्मूलन में, विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में किए गए शोध की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें तर्क, संवेदना, पालन और व्याख्या की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को समय—समय पर शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करनके बदलाव करने की जरूरत है। उच्च शिक्षा संस्थानों के अधिकतम विश्वविद्यालयों पाठ्यक्रम बहुत पुराना है। जिन विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम को बदल दिया है, पाठ्यक्रम सं संबंधित कोई शिक्षक नहीं है, या पाठ्यक्रम का परिवर्तन नहीं है।

समाधान

MOOCs महज दिखागा। उच्च शिक्षा को गुणवत्ता और कौशल के साथ परिपूर्ण बनाने के लिए, हमें बदलते समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सभी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालयों या कॉलेजों को स्वातंत्र्य देने से यह देखा जाता है कि अनियंत्रित हो जाते हैं। यहाँ हमें अमेरिकी मॉडल को अपनाना होगा, जहाँ, सभी विश्वविद्यालयों में, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा का स्तर ऐसा हो, जिसमें सभी शिक्षकों और छात्रों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की जाए। यदि अमेरिका में एक संकाय विश्वविद्यालय प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, तो वह किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में जा सकता है, जिसमें सभी संसाधन, अनुसंधान

और उसके सभी छात्र शामिल हैं, इसलिए कोई भी विश्वविद्यालय कभी भी निरंकुश नहीं होता है। सरकार को न केवल उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बेहतरीन स्तर पर होनी चाहिए। गौरतलब है कि देश के गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की भारी कमी है। उच्च शिक्षा और शिक्षा के लिए बढ़ते ऋण ने भी भारत में उच्च शिक्षा को अपंग बना दिया है। भारत में, राजनेताओं और बड़े व्यापारियों द्वारा, लाभ के उद्देश्य से खोला गया शिक्षण संस्थान केवल उच्च शुल्क, फर्जी प्रवेश और आसान डिग्री प्रदान करने के लिए एक स्टोर है।

निष्कर्ष

छात्रों को आत्म—चेतना, संवेदनशीलता और मौलिक सोच विकसित करने और प्रभावी संचार विकसित करने, समस्याओं को हल करने और पारस्परिक संबंधों की दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है— पूर्व राष्ट्रपति और संघ के कुलपति, माननीय प्रणव मुखर्जी शिक्षा के बिना, मानव जीवन व्यर्थ है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत, प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया गया था, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान बहुत धीरे—धीरे दिया जा रहा है और उच्च शिक्षा का मार्ग अभी भी बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे नारों के माध्यम से, भारत अपने विकास पथ पर ज्ञान, जागरूकता, रचनात्मकता, कौशल और गुणवत्ता के विस्तार की प्रतीक्षा कर रहा है। विदेशों में, भारतीय अपने कौशल के दम पर दुनिया में अपना और देश का नाम रौशन कर रहे हैं। लेकिन भारत में शिक्षा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। भारत, जो पूरी तरह से डिजिटल होने और दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, भारत में उच्च प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन शिक्षा की भयावह संरचना देख रहा है। वर्तमान में, उच्च शिक्षा प्रणाली में ऐसे बुनियादी बदलाव लाने की आवश्यकता है

जिनमें व्यावहारिकता, गुणवत्ता और कौशल हो। हमारे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शिक्षा का समुचित उपयोग करने के लिए, हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी होगी, जहाँ युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शिक्षा मिले।

सन्दर्भ

एस। अग्रवाल पी। “भारत में निजी शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। जून 2006.

पवार केबी (एड) मानव विकास के लिए उच्च शिक्षा (2000),

भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, नया” निष्पो 7, स्वामी कुलंदाई वीसी (2002)

नॉलेज के लिए शिक्षा युग खुला और लचीला सीखना कोगन पेज इंडिया प्रा।

लिमिटेड, नई दिल्ली। UNESCO (2011)

ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन द पावर ऑफ ICT नीतियाँ UNESCO।

देसाल, सोनालदे और वीणा कुलकर्णी, परिवर्तनकारी शिक्षा जनसांख्यिकी के संदर्भ में भारत में शिक्षा की असमानताओं को बदलना, 45.2 (2008)। 245–270।

कुमार कृष्णा, भारत से 21 वीं सदी के पाठों की शुरुआत में शिक्षा की गुणवत्ता।

1.

<http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-ranking/2017/world-ranking>. Retrieved 2017.

2. Singh J.D. Higher education in India : Major challenges and possible enablers. University news 51(32).

3. Singh Mithilesh Kumar "Challenges of globalization on Indian Private Education" Apeejay-Stya Education Research Foundation, New Delhi (2012).

4. Maiti Arun Kumar, 'Privatisation of Private Education and its Implication in India', Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 2.11 (2014).